संख्याः— /XVII(1)/04—09(प्रकोष्ठ)/2004

प्रेषक,

एस. के. मुटटू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग। देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर, 2004

विषयः समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सचिवालय स्तरीय समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी.एम.—15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कुल **रू. 9,62,000/— (रूपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रकार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

लेखा शीर्षक : अनुदान संख्या—15 आयोजनागत मतदेय

2225—01—001—07—00

मुख्य शीर्षक 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक 01—अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक 001—निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक 07—एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान
ब्यौरेवार शीर्षक 00—

(रूपये हजार में)

मानक मद	पूर्व में आबंटित धनराशि	पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत वर्तमान में आबंटित की जा रही धनराशि	कुल आबंटित धनराशि (प्रगामी योग)
11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15	5	20
12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	90	92	182
13—टेलीफोन पर व्यय	30	15	45
15—गाडियोंका अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	700	750
16—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं केलिए भुगतान	50	150	200
योग :	**235**	**962**	**1197**

(रूपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)

2. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

क्रमशः ..... 2 पर

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

5. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 ''आयोजनागत'' के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर–1 में अंकित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुर्नविनियोग के कॉलम–4 की बचतों से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 539/XXVII(2)/2004 दिनांकः 23 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस. के. मुटटू)
प्रमुख सचिव,

संख्याः–302 (1)/XVII(1)/04–09(प्रकोष्ठ)/2004/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल, देहरादून।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गरिमा सौंकली)
उप सचिव,

नियंत्रक अधिकारी :–प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

वित्तीय वर्ष 2004–2005

प्रशासकीय विभाग :– समाज कल्याण ।
अनुदान संख्या – 15
(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानकमदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि मे अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनु.सं0–15 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियोंका कल्याण 800–अन्य व्यय 05–अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता 42–अन्य व्यय 30000	240	25000	4760	अनु.सं0–15 आयोजनागत 2225–अनु.जातियों,अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 001–निदेशन तथा प्रशासन 07–एस.सी.पी./टी.एस.पी.नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान 11–लेखन सामग्री/फार्म कीछपाई 5 12–कार्या.फर्नीचर एवं उपकरण 92 13–टेलीफोन पर व्यय 15 15–गाडी अनुरक्षण/पेट्रोलखरीद 700 16–व्यावसा0/विशेषसेवाभुगतान 150	20 162 45 750 200	28798	क) अनु.जाति के लिए परियोजना हेतु सहायता की मानक मद 42–अन्य व्यय चूंकि अवशिष्ट मद है, अतः इसमें बचत होने का अनुमान है। ख) लेखन सामग्री में बजट कम होने व टेलीफोन में परामर्शदाता के बिलों के भुगतान हेतु तथा परामर्श दाता एवं कार्या.के फर्नीचर के बिलों हेतु तथा वाहन किराया हेतु अनुरक्षण में व प्रजन्टेशन हेतु व्यावसायिक /विशेष सेवाओं के भुगतान मद में पुनर्विनियोग आवश्यक है।
योग : 30000	240	25000	4760	योग : 962	1197	28798	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग – 2
सं0–539/XXVII(2)/2004–2005
देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2004

एस. के. मुद्दू
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण.

पुनर्विनियोग स्वीकृत ।

एम. एल. टम्टा
संयुक्त सचिव, वित्त.

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल, माजरा,देहरादून।

संख्या–302 (2)/XVII(1)/04–09(प्रकोष्ठ)/2004/तददिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव,
समाज कल्याण.